



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1942 (श10)
(सं0 पटना 963) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2020

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना
18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 202, दिनांक 18 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 388, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1156, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैरा में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2363)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 202, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2363)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th December 2020

S.O. 202, Dated 18th December 2020— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of Commercial Taxes Department notification No S.O. 388, dated the 14th October, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1156, dated the 14th October, 2019, namely: -

In the said notification in the opening paragraph, for the words and figures “financial years 2017-18 and 2018-19”, the words and figures “financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2363]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 963-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>